न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 51/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 4.5.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रामकरण
2. छगनलाल
   पिसरान तेजा जी जाति मीणा
3. विमला
4. राजेशबाई
5. शिमलाबाई
   पुत्रिया सुखदेव जाति मीणा
6. धर्मेन्द्र आत्मज श्योजी जाति मीणा
7. जानकीबाई पुत्री तेजा जाति मीणा निवासीगण ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

....अपीलाट्स

बनाम

1. रामदेव आत्मज तेजा जी जाति मीणा
2. हजारीबाई पुत्री तेजा जाति मीणा निवासीगण ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा
4. राज0 राज्य जरिये उप पंजीयक तालेडा जिला बूंदी।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तेजमल जेन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रमेश राठोर अभिभाषक रेस्पो0 कम–1व 2

:::निर्णय:::

दिनांक 7.11.2017

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार (भू. अ.) तालेडा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 85/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) एलआरएक्ट/रिमाण्ड प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी मि0सं0 69/अपील/16 निर्णय दिनांक 18.7.2016 के आलोक मे पारित निर्णय दिनांक 9.3.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1798 दिनांक 7.9.15 ग्राम मेहराना से अप्रसन्न होकर रामकरण वगेरा द्वारा रामेदव हजारी बाई आदि के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी के यहां पेश की गई। जिला कलक्टर बूंदी द्वारा उक्त उनवान की अपील सं0 69/16 मे पारित निर्णय दिनांक 18.7.2016 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1798 दिनांक 7.9.2015 निरस्त किया तथा प्रकरण संबधित पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्व रिकार्ड का विस्तृत

परीक्षण करते हुये बाद जांच व सुनवाई नियमो मे निहित प्रावधानो के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार को रिमांड किया गया। जिला कलक्टर बूंदी के उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य मे ग्राम महराना स्थित आराजी सं0 911 रकबा 27.06, ख0 नं0 950 रकबा 19.15, ख0 नं0 952 रकबा 17 बीघा की भूमि पर मृतक छीत्याबाई बेवा लोडक्या के स्थान पर उसके वारिसान रामदेव माता छीत्याबाई, हजारीबाई माता छीत्याबाई हि0 1/6 हि.ब. के नाम दर्ज किये जाने व जिला कलक्टर बूंदी के निर्णयानुसार नामा0 सं0 1798 दि0 7.9.15 पर निरस्त का नोट अंकित कर नवीन आदेशानुसार नामा0 दर्ज किये जाने का तहसीलदार (भू.अ.) तालेडा द्वारा दिनांक 9.3.2017 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार भू अभि0 तालेडा द्वारा मृतक छीत्या की विरासत का नामान्तरकरण केवल मात्र रामदेव व हजारी बाई पिस0 तेजा मीणा के नाम खोलने की आज्ञा देने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि रिमाण्ड आदेश मे जिला कलक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिये थे कि पक्षकारान जाति से मीना है जो अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है इसलिये पुराने हिन्दू कानून के अन्तर्गत मामले को देखा जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है वास्तविकता यह है कि प्रस्तुत मामले मे पक्षकारो के अधिकार कष्टमरी लॉ से तय होगे जो तत्तसमय कोटा सरक्यूलर नंम्बर 3 था तथा पुराने हिन्दू लॉ के रूप मे प्रचलित था। पुराने हिन्दू कानून मे महिलाओं को पुरूष सदस्य होने की स्थिति मे कोई अधिकार नही मिलते थे तथा पुरूष सदस्य न होने की स्थिति मे विधवा पत्नी को अधिकार प्राप्त होता था, किन्तु यदि विधवा पत्नी नाता चली जावे तो उसकी विरासत उसके पति के नजदीकी वारिस को पहुंचेगी। प्रस्तुत मामले मे लोडक्या तेजा सगे भाई थे लोडक्या लाऔलाद मर गया तो उसके स्थान पर उसकी पत्नी छीत्या वारिस बनी, किन्तु जब छीत्या ने तेज्या से नाता कर लिया तो छीत्या के अधिकार समाप्त हो गये और छीत्या के पति लोडक्या का नजदीकी वारिस उसका भाई तेजा, लोडक्या की सम्पत्ति का वारिस हो गया ऐसी स्थिति मे लोडक्या की समस्त सम्पत्ति का वारिस तेजा होगा। और तेजा के मरने के बाद तेजा के समस्त पुत्रो को विरासत पहुचेगी। तेजा से छीत्या के दो सन्ताने रामदेव व हजारी बाई हुई तथा अपीलांट तेजा की पहली पत्नी के वारिस है इस कारण तेजा की समस्त सन्ताने तेजा की सारी सम्पत्ति की समान रूप से वारिस होगी तथा छीत्या की सम्पत्ति भी उसी मे शामिल होगी। अधीनस्थ न्यायालय को छीत्या की विरासत उसके नाते जाते समय तय करनी चाहिये थी क्योंकि छीत्या के नाते जाते ही उसकी विरासत तय हो चुकी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने छीत्या की विरासत उसकी मृत्यु के समय तय की है जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे तथा तेजा के समस्त वारिसान के नाम समभाग से नामान्तरकरण खोलने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम–1 व 2 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि पक्षकारान जाति से मीना है जो अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है इसलिये पुराने हिन्दू कानून के अन्तर्गत मामले को देखा जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लोडक्या तेजा सगे भाई थे लोडक्या लाऔलाद मर गया तो उसके स्थान पर उसकी पत्नी छीत्या वारिस बनी, किन्तु जब छीत्या ने तेज्या से नाता कर लिया तो छीत्या के अधिकार समाप्त हो गये और छीत्या के पति लोडक्या का नजदीकी वारिस उसका भाई तेजा, लोडक्या की सम्पत्ति का वारिस हो गया ऐसी स्थिति मे लोडक्या की समस्त सम्पत्ति का वारिस तेजा होगा। और तेजा के मरने के बाद तेजा के समस्त पुत्रो को विरासत पहुचेगी। तेजा से छीत्या के दो सन्ताने रामदेव व हजारी बाई हुई तथा अपीलांट तेजा की पहली पत्नी के वारिस है इस कारण तेजा की समस्त सन्ताने तेजा की

सारी सम्पत्ति की समान रूप से वारिस होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे तथा तेजा के समस्त वारिसान के नाम समभाग से नामान्तरकरण खोलने की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे बताया कि लोडक्या की मृत्यु हो चुकी है छीत्या उसकी पत्नि है लोडक्या की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति की छीत्या ही स्वभाविक वारिस थी। अधीनस्थ न्यायालय ने छीत्या की मृत्यु उपरांत उसकी विरासत का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नहीं है। जिला कलक्टर बूंदी द्वारा भी रिमांड आदेश मे यही दिशा निर्देश दिये है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) तालेडा ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित रिमांड आदेश/निर्णय दिनांक 18.7.2016 के परिपेक्ष्य मे ग्राम महराना स्थित उक्त वर्णित भूमि पर मृतक छीत्याबाई बेवा लोडक्या के स्थान पर उसके वारिसान रामदेव व हजारीबाई हि0 1/6 हि.ब' के नाम दर्ज का दिनांक 9.3.2017 को निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक का अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ''पक्षकारान जाति से मीना है जो अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है इसलिये पुराने हिन्दू कानून के अन्तर्गत मामले को देखा जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लोडक्या तेजा सगे भाई थे लोडक्या लाऔलाद मर गया तो उसके स्थान पर उसकी पत्नी छीत्या वारिस बनी, किन्तु जब छीत्या ने तेज्या से नाता कर लिया तो छीत्या के अधिकार समाप्त हो गये और छीत्या के पति लोडक्या का नजदीकी वारिस उसका भाई तेजा, लोडक्या की सम्पत्ति का वारिस हो गया ऐसी स्थिति मे लोडक्या की समस्त सम्पत्ति का वारिस तेजा होगा। और तेजा के मरने के बाद तेजा के समस्त पुत्रो को विरासत पहुचेगी। तेजा से छीत्या के दो सन्ताने रामदेव व हजारी बाई हुई तथा अपीलांट तेजा की पहली पत्नी के वारिस है इस कारण तेजा की समस्त सन्ताने तेजा की सारी सम्पत्ति की समान रूप से वारिस होगी। अपीलांट का उक्त तर्क विधिसम्मत प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवेचित तथ्यो पर गौर किये बिना मृतक छीत्या की विरासत बावत जेरअपील निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित निर्णय 9.3.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार (भू.अ) तालेडा जिला बूंदी को पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये उक्त विवेचित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू. अ.) तालेडा द्वारा प्रकरण सं0 85/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 9.3.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) तालेडा तालेडा को पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर, निर्णय के बिन्दू सं0 5 मे विवेचित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 7.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा